



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273795  
CG-DL-E-24062026-273795

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3219]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3219]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

**का.आ. 3352(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1841(अ) तारीख 10 अप्रैल 2026, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 10 अप्रैल 2026, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के 8"Ø एचपी गैस लाइन सीपीएफ गांधार से जी.एन.ए.क्यू जी.जी.एस तक ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 11 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यक्षीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

जिला : भरुच				राज्य : गुजरात		
क्रमांक	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8"Ø एचपी गैस लाइन सीपीएफ गांधार से जी.एन.ए.क्यू जी.जी.एस</b>						
1	आमोद	वालपोर	18	00	03	45
			19	00	03	60
			20	00	08	40
			25	00	09	75
			72	00	01	20

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/41/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-54691)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

**S.O. 3352(E).**—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 1841 (E) dated 10.04.2026 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary gazette of India dated 10.04.2026, Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through 8"Ø HP GAS LINE FROM CPF GANDHAR TO GNAQ GGS Pipeline in the State of Gujarat by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to the 11.04.2026.

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Oil and Natural Gas Corporation Ltd., free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Shall be exclusively liable For any Compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act,1962 and no suit, claim of legal Proceeding would lie against the central government of any matter relating to the pipeline.

#### SCHEDULE

District : Bharuch				State : Gujarat		
Sl.No.	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey No.	Area		
				Hect	Are	Sq.Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8"Ø HP GAS LINE FROM CPF GANDHAR TO GNAQ GGS</b>						
1	Amod	Valipor	18	00	03	45
			19	00	03	60
			20	00	08	40
			25	00	09	75
			72	00	01	20

[F. No. Expl-13011(26)/41/2025-EXPL-PNG (E-54691)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.